



WWW.APMA.BIZ

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : [apma1965@yahoo.in](mailto:apma1965@yahoo.in) Website : [www.apma.biz](http://www.apma.biz)

R.K. GUPTA

PRESIDENT

Mobile : 9891008503

VISHNU BHARGAVA

Hony. General Secretary

Mobile : 9811139614

VINAY NARANG

Hony. Treasurer

Mobile : 9810193816

सरकूलर नं० अपमा / 2016-2018 / 189

दिनांक : 5-9-2017

**जुलाई एवं अगस्त 2017, माह के लिये  
विवरण एवं रिटर्न दाखिल करने की तिथियां बढ़ने के सन्दर्भ में**

आप सभी को सूचित किया जाता है कि जुलाई – अगस्त 2017, माह के लिये फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-2 एवं फॉर्म जीएसटीआर-3 के लिए विवरण एवं रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियां निम्नलिखित बढ़ा दी गई है, कृपया ध्यान दें :-

आवश्यक विवरण	जुलाई, 2017 हेतु	अगस्त, 2017 हेतु
GSTR-1 में आउटवर्ड सप्लाइज का विवरण	10 <sup>th</sup> September, 2017	5th October, 2017
GSTR-2 इनवर्ड सप्लाइज का विवरण	25 <sup>th</sup> September, 2017	10th October, 2017
GSTR-3 में रिटर्न	30 <sup>th</sup> September, 2017	15th October, 2017

इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि उपरोक्त तिथियों से पूर्व जुलाई-अगस्त, 2017, माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-2 एवं फॉर्म जीएसटीआर-3 की अपनी विवरण एवं रिटर्न समय से पहले दाखिल कर दें।

कृपया उपरोक्त शिड्यूल का पालन करें ताकि लेट फीस और ब्याज से बचा जा सकें।

Contd.....P/2

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 190

## **E-Way Bill**

### **\*Rules related to E-Way Bill-As Per Notification No-27/2017 Dated 30-08-2017\*-**

1. \*Consignment Value Exceeds Rs 50000\*- Eway Bill to be generated in Form GST EWB-01
2. \*Procedure\*- Supplier will fill Part-A of Form GST EWB-01 and then Transporter will fill Part-B of Form GST EWB-01 before movement of Goods.
3. \*Distance < 10 Km\*- where the goods are transported for a distance of less than ten kilometres within the State or Union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in Part-B of the e-way bill.
4. \*Unique e-way bill number (EBN)\*- Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the \*supplier\*, the \*recipient\* and the \*transporter\* on the common portal.
5. \*Transporter transferring goods from one conveyance to another\* - in the course of transit shall, before such transfer and further movement of goods, update details of conveyance in the e-way bill on the common portal in FORM GST EWB-01.
6. \*Multiple consignments in one conveyance\*- A consolidated e-way bill in FORM GST EWB-02 has to be generated by the Transporter which contains the serial No of all the individual Consignments.
7. \*Cancellation of E-way Bill\*- If Goods are not transported after generation of E-way Bill than it need to be cancelled within 24hrs of its generation
7. \*Validity of E-way Bill\*- Upto 100km one day and additional 1 Day for each additional 100 Km
8. \*No E-way Bill is Required in the following cases\*- Goods Specified in Annexure to E-Way Rules, Goods Transported by Non-motorised Conveyance,

**The date from which the rules will come into effect is yet to be notified.**

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 191

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि अपमा टेलीफोन डायरेक्ट्री एवं अपमा गोल्डन जुबली डायरेक्ट्री 50/- रुपये में अपमा कार्यालय में उपलब्ध है। यदि किसी व्यापारी भाईयों को टेलीफोन डायरेक्ट्री की आवश्यकता है तो अपमा कार्यालय में आकर 50/- रुपये देकर अपमा टेलीफोन डायरेक्ट्री या अपमा गोल्डन जुबली डायरेक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 192 **“अपमा निःशुल्क चिकित्सालय”**

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि हर सोमवार, बुद्धवार एवं शुक्रवार के दिन योग्य एवं अनुभवी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी सुबह 10.00 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक अपमा डिस्पेन्सरी में अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों, ठेलेवाले, झल्लीवाले एवं जरूरतमंद मरीजों को चिकित्सा सहायता हेतु अपमा डिस्पेन्सरी में अवश्य भेजें एवं आप स्वयं भी डिस्पेन्सरी में आकर अपना इलाज करवायें।

व्यापारी भाईयों, अपमा डिस्पेन्सरी 80(G) के अन्तर्गत पंजीकृत है। डिस्पेन्सरी हेतु दी हुई दान राशि पर आपको इनकम टैक्स के अन्तर्गत 50% छूट मिलेगी।

( राकेश कुमार )  
जनसम्पर्क अधिकारी